उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-705/24/971-41-1-2024-सीएन-1799809-2024
लखनऊ:: दिनांक 16 अक्टूबर, 2024
शासनादेश संख्या-589/2024/-/41-1-2024-001-सीएन0-1799809-2024, दिनांक 24.06.2024 का

शुद्धि-पत्र

महानिदेश, पर्यटन के पत्र संख्या-2041/6-1-1(614)/2023-24, दिनांक 02 अगस्त, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद बुलन्दशहर के वि0 ख0 खुर्जा में स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-589/2024/-/41-1-2024-001-सी0एन0-1799809-2024, दिनांक 24.06.2024 के प्रस्तर -2 में नामित के नाम रू0 कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एवं डिजरइस सार्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम के नाम रू0 162.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का उल्लेख किया गया है परन्तु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की आंकलित लागत रू0 124.28 लाख एवं म्यूरल आर्ट वर्क के कार्यो को कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी के नाम आंकलित लागत रू0 38.40 का उल्लेख नहीं किया गया हैं, जिसके कारण कोषागार से धनराशि आहरित नहीं हो रही है।अत: शासनादेश संख्या- 589/2024/-/41-1-2024-001-सी0एन0-1799809-2024, दिनांक 24.06.2024के प्रस्तर-2 में नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एवं डिजरइस सार्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम के नाम रू0 162.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का उल्लेख किया गया है परन्तु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की आंकलित लागत रू0 124.28 लाख एवं म्यूरल आर्ट वर्क के कार्यो को कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी के नाम आंकलित लागत रू0 38.40 को अंकित करते हुए शुद्धि-पत्र निर्गत का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-347/2024/1020/41-1-2024-001-CN-1799809-2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा गठित आगणन लागत रू0 175.17 लाख के सापेक्ष अप्रेजल समिति द्वारा आंकिलत लागत रू0 162.68 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की आंकलित लागत रू0 124.28 लाख तथा उ0प्र0 ललित कला अकादमी द्वारा कराये जाने वाले म्यूरल आर्ट कार्यो की आंकलित लागत रू0 38.40 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 75.000.00 तथा शासनादेश संख्या-589/2024/1020/41-1-2024-001-CN-1799809-2024 दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 80.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- अत: शासनादेश संख्या-589/2024/1020/41-1-2024-001-CN-1799809-2024 दिनांक 24.06.2024 के प्रस्तर-2 में अंकित ''शासनादेश संख्या-347/2024/1020/41-1-2024-001-CN-1799809-2024 दिनांक 14.03.2024 रू0 162.68 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **'' के स्थान पर** शासनादेश संख्या-347/2024/1020/41-1-2024-001-CN-1799809-2024 दिनांक 14.03.2024 रू0 162.68 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की आंकलित लागत रू0 124.28 लाख ताथ उ0प्र0 ललित कला अकादमी द्वारा कराये जाने वाले म्यूरल आर्ट कार्यो की आंकलित लागत रू0 38.40 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पढ़ा एवं समझा जाय।

तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 24.06.2024 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपलब्ध यथावत् रहेगें।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3 महाहनदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7 निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि क्रमांक-4,5,6,7, एवं 8 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।